**<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>**

सं. एवी.20015/08/2017-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

*****

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
दिनांक: 09.10.2017

सेवा में,

निदेशक, नागर विमानन,
उद्योग एवं खान विभाग,
गुजरात सरकार,
गुजसेल कॉम्पलेक्स, टोरेंट सब-स्टेशन के निकट,
एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद-380034, गुजरात।

विषय: **गुजरात में राजकोट अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

मुझे आपके पत्र संख्या एवीएन/राजकोट/इन-प्रिंसिपल/2017-18/228 दिनांक 11 अगस्त, 2017, जिसमें राजकोट अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, का संदर्भ लेने तथा आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(एस.वी.रमण)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन-24610374

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

**सूचनार्थ प्रतिलिपि:**

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), सफदरजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।

4. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, ब्लॉक संख्या-5, चतुर्थ तल, सचिवालय के निकट, गांधीनगर-382010.

**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**

**सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना**

| | |
|---|---|
| **आवेदन संख्या:** | **एवी.20015/08/2017-एडी** |
| **आवेदक का नाम:** | **निदेशक नागर विमानन, उद्योग एवं खान विभाग, गुजरात सरकार, गुजरात।** |
| **पता:** | **गुजसेल कॉम्प्लेक्स, टोरेंट सब-स्टेशन के निकट, एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद-380003, गुजरात।** |

**निर्णय:** सक्षम प्राधिकारी ने गुजरात के राजकोट जिले के हीरासर में सार्वजनिक उपयोग के लिए राजकोट अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में समय-समय पर जारी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों/विमानपत्तन अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

**<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>**

(i) गुजरात सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को संपूर्ण भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करेगी।

(ii) राज्य सरकार परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नए हवाईअड्डे पर होने वाली पूंजीगत एवं परिचालन लागत की पूर्ति हेतु वर्तमान राजकोट हवाईअड्डे की भूमि का मुद्रीकरण/लाभकारी उपयोग (Monetize/Leverage) करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुमति प्रदान करेगी तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगी।

(iii) राजकोट में वर्तमान भाविप्रा हवाईअड्डे का प्रचालन, राजकोट के हीरासर स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के परिचालन में आने के उपरांत बंद कर दिया जाएगा।

(iv) राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय (एमओडी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगी।

(v) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार किया जाना चाहिए।

(vi) प्रवर्तक को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

**दिनांक:** 09.10.2017

(एस.वी. रमन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24610374